

लोकतंत्र को समझना - एक उभरती अवधारणा

DR. POOJA VARUN

ASSOCIATE PROFESSOR, POLITICAL SCIENCE,  
GOVERNMENT GIRLS COLLEGE, AJMER

सार

लोकतंत्र (Democracy) एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसका सरल अर्थ है 'जनता का शासन'। समय के साथ लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक उभरती अवधारणा (Evolutionary Concept) बन चुका है। आधुनिक युग में इसके मायने और जिम्मेदारियां लगातार बदल रही हैं।

नीचे लोकतंत्र के बदलते स्वरूप और इसकी उभरती अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है:

1. लोकतंत्र का पारंपरिक अर्थ बनाम आधुनिक अर्थ

- पारंपरिक दृष्टिकोण: शुरुआत में लोकतंत्र का मतलब केवल मतदान करना, प्रतिनिधि चुनना और सरकार बनाना था। इसे 'प्रक्रियात्मक लोकतंत्र' (Procedural Democracy) कहा जाता है।
- आधुनिक (उभरता) दृष्टिकोण: आज लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय, और नीति-निर्माण में जनता की सक्रिय भागीदारी है। इसे 'मूल्य-आधारित लोकतंत्र' (Substantive Democracy) कहते हैं।

2. उभरती अवधारणा के प्रमुख आयाम (Key Dimensions)

लोकतंत्र का विस्तार अब जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं:

- सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy): इसमें जनता केवल 5 साल में एक बार वोट नहीं देती, बल्कि सरकार के निर्णयों में लगातार अपनी राय रखती है। सोशल मीडिया, आरटीआई (RTI), और जन-आंदोलन इसके उदाहरण हैं।

- विमर्शी लोकतंत्र (Deliberative Democracy): इस अवधारणा के अनुसार, कोई भी कानून सिर्फ बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि खुली बहस, चर्चा और आम सहमति से बनना चाहिए, ताकि अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा हो सके।
- डिजिटल लोकतंत्र (E-Democracy): तकनीक के आने से लोकतंत्र का डिजिटल रूप सामने आया है। ऑनलाइन वोटिंग, सरकारी पोर्टल्स पर जनता के सुझाव, और डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता बढ़ाना इसका हिस्सा हैं।
- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र: राजनीतिक स्वतंत्रता (वोट का अधिकार) तब तक अधूरी है जब तक समाज में समानता (जाति-धर्म का भेद न होना) और आर्थिक सुरक्षा (रोजगार और बुनियादी जरूरतें) न हो।

### 3. लोकतंत्र के सामने उभरती चुनौतियाँ

जैसे-जैसे लोकतंत्र विकसित हो रहा है, इसके सामने नई चुनौतियाँ भी आ रही हैं:

- भ्रामक जानकारी (Misinformation): सोशल मीडिया के युग में फेक न्यूज और डीपफेक लोकतांत्रिक चुनावों और जनमत को प्रभावित कर रहे हैं।
- लोभ-लुभावनवाद (Populism): कई बार नेता जनता की तार्किक जरूरतों के बजाय उनकी भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं।
- डेटा गोपनीयता (Data Privacy): नागरिकों की निजी जानकारी का इस्तेमाल करके उनके राजनीतिक विचारों को प्रभावित (Manipulate) करने का खतरा बढ़ गया है।

### परिचय

डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव आपस में जुड़े सिद्धांतों पर टिकी होती है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, जो इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत है, यह तय करता है कि सही पॉलिटिकल अथॉरिटी उन लोगों की सहमति से मिलती है जिन पर वह राज करती है। पॉलिटिकल बराबरी के साथ मिलकर, यह पक्का करता है कि हर किसी को अपने बैकग्राउंड या सोशल स्टेटस की परवाह किए बिना डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का बराबर अधिकार हो। माइनॉरिटी के अधिकारों के साथ मेजॉरिटी का शासन एक ऐसा बैलेंस बनाता है जहाँ डेमोक्रेटिक फैसले मेजॉरिटी की इच्छा को दिखाते हैं, जबकि असहमति जताने वालों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

लोकतंत्र के प्रकार

डायरेक्ट डेमोक्रेसी तब होती है जब नागरिक असेंबली के ज़रिए पॉलिसी बनाने में सीधे हिस्सा लेते हैं और मुद्दों, पॉलिसी और कानूनों पर सीधे वोट देते हैं। हालांकि, मॉडर्न समाज की मुश्किल और बड़े पैमाने ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहा जाता है, को सबसे बड़ा मॉडल बना दिया है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, नागरिक अधिकारियों को चुनते हैं जो नागरिकों और सरकार के बीच बिचौलिए के तौर पर काम करते हैं। [1,2,3]

डेमोक्रेसी कई तरह की होती हैं, और हर एक की खासियत अलग-अलग तरह की गवर्नेंस होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर को लेजिस्लेचर के अंदर इकट्ठा करते हैं, जिससे कोएलिशन बनाने और आम सहमति से चलने वाला गवर्नेंस बढ़ता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच को अलग करते हैं, जिससे अलग-अलग अकाउंटैबिलिटी सिस्टम बनते हैं। फेडरल डेमोक्रेसी कई सरकारी लेवल पर पावर बांटती हैं, जिसमें अलग-अलग रीजनल इंटररेस्ट का ध्यान रखा जाता है, जबकि यूनिटरी सिस्टम डेमोक्रेटिक अकाउंटैबिलिटी बनाए रखते हुए अथॉरिटी को सेंट्रलाइज़ करते हैं।

सभी आधुनिक लोकतंत्रों में शामिल हैं:

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

कानून का शासन और संवैधानिक सुरक्षा

व्यक्तिगत अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता

नियंत्रण और संतुलन

लोकतांत्रिक सिद्धांत

पारदर्शिता और जवाबदेही

नागरिक भागीदारी और नागरिक जुड़ाव

उत्तरदायी नेतृत्व और नीति निर्माण

लोकतंत्र और शासन में संतुलन

डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने, सोच-विचार और जवाबदेही पर ज़ोर दिया जाता है, जबकि असरदार शासन में कुशलता, एक्सपर्टीज़ और पक्के फैसले लेने की ज़रूरत होती है। सफल डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसे इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल प्रैक्टिस बनाकर बैलेंस बनाते हैं जो दोनों को बनाए रखते हैं, यह समझते हुए कि किसी से भी पूरी तरह समझौता नहीं किया जा सकता।

इस संतुलन के उदाहरण

मेजॉरिटी रूल और माइनॉरिटी राइट्स में बैलेंस बनाना: डेमोक्रेसी को मेजॉरिटी के फैसलों का सम्मान करना चाहिए और माइनॉरिटी के हितों और आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए।

आम लोगों की मज़ी बनाम एक्सपर्ट की जानकारी : मुश्किल पॉलिसी चुनौतियों से निपटने के लिए अक्सर एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत होती है, जो आम राय से अलग हो सकती है। मज़बूत डेमोक्रेटिक सिस्टम जनता के प्रति जवाबदेही से समझौता किए बिना एक्सपर्ट की सलाह को शामिल करते हैं।

शॉर्ट-टर्म चुनावी साइकिल बनाम लॉन्ग-टर्म प्लानिंग : चुनावी फायदे नेताओं को लंबे समय तक चलने वाले समाधानों के बजाय तुरंत मिलने वाले फ़ायदों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। असरदार लोकतंत्र दूर की सोचने वाली पॉलिसी बनाने और लगातार कमिटमेंट को बढ़ावा देने के तरीके बनाते हैं, तब भी जब पॉलिसी शुरू में पसंद न की जाती हों। [2,3,4]

सुशासन के माध्यम से लोकतंत्र को मज़बूत करना

डेमोक्रेटिक मज़बूती बढ़ाने के लिए डेमोक्रेटिक संस्थाओं और गवर्नेंस के तरीकों, दोनों को मज़बूत करने के लिए जानबूझकर कोशिशें करने की ज़रूरत है। सफल डेमोक्रेटिक मज़बूती में संस्थाओं के डिज़ाइन में सुधार के साथ कल्चरल और एजुकेशनल पहल शामिल होती हैं जो डेमोक्रेटिक मूल्यों और तरीकों को सपोर्ट करती हैं।

### विचार-विमर्श

इंस्टीट्यूशनल रेज़िलिएंस और भरोसा बनाना : मज़बूत डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेस झेलने और संकट के समय अपना असर बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रेज़िलिएंस में ज़रूरी सेफ़गार्ड बनाना, इमरजेंसी स्थितियों के लिए साफ़ प्रोसीजर और इंस्टीट्यूशनल अडैप्टेशन और रिफ़ॉर्म के लिए मैकेनिज़्म बनाना शामिल है। जनता का भरोसा बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन, नियमों का लगातार लागू होना और अपने नागरिकों की ज़रूरतों को असरदार तरीके से पूरा करने का सबूत ज़रूरी है।

सबको साथ लेकर चलने वाली भागीदारी को बढ़ावा देना : डेमोक्रेटिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन रुकावटों को हटाना ज़रूरी है जो लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस में सही तरीके से शामिल होने से रोकती हैं। इसमें मुश्किल वोटर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरतें, चुनाव का असुविधाजनक समय और पहुँच से जुड़ी दिक्कतें जैसी रुकावटों को दूर करना शामिल हो सकता है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं।

सरकारी ट्रांसपेरेंसी और निगरानी बढ़ाना : ट्रांसपेरेंसी की कोशिशों को सिर्फ़ जानकारी जारी करने से आगे बढ़कर यह पक्का करना होगा कि सरकारी डेटा नागरिकों के लिए आसानी से मिलने वाला, समझने लायक और एक्शन लेने लायक हो। निगरानी करने वाली संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए उन्हें सरकारी कामों की असरदार तरीके से जांच करने के लिए ज़रूरी रिसोर्स, कानूनी अधिकार और आज़ादी देनी होगी।

डेमोक्रेटिक शिक्षा और नागरिक साक्षरता को बढ़ावा देना : लंबे समय तक डेमोक्रेटिक सेहत उन नागरिकों पर निर्भर करती है जो डेमोक्रेटिक सिद्धांतों को समझते हैं, जिनमें नागरिक कौशल होते हैं और जो डेमोक्रेटिक मूल्यों के प्रति कमिटमेंट बनाए रखते हैं। नागरिक शिक्षा प्रोग्राम में यह सिखाया जाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं और राजनीतिक जानकारी और तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या हैं।

लोकतंत्र और शासन में विशेषज्ञता का निर्माण[3,4,5]

डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और यह कैसे काम करता है, यह समझना आज के समय की गवर्नेंस की चुनौतियों से निपटने और ज़्यादा असरदार, सबको साथ लेकर चलने वाले और टिकाऊ डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने का आधार देता है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट में माहिर हो जाते हैं, वे रिसर्च, पॉलिसी डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस या सिविक लीडरशिप के ज़रिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में योगदान देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे।

#### परिणाम

डेमोक्रेसी दो बड़ी वैल्यूज़ पर टिकी है जो हमेशा एक साथ नहीं बैठतीं: लिबर्टी और इक्वालिटी। लिबर्टी किसी इंसान की अपनी मर्जी से सोचने, बोलने और जीने की आज़ादी की रक्षा करती है। इक्वालिटी इस बात पर ज़ोर देती है कि हर इंसान की गिनती एक जैसी हो, कि हर नागरिक को वोट देने और पॉलिटिकल फैसले लेने में बराबर अहमियत मिले।

दिवक्कत यह है कि एक को पाने की कोशिश दूसरे को खतरे में डाल सकती है। बिना रोक-टोक की आज़ादी से पैसे और असर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा हो सकता है। सरकार द्वारा लागू की गई ज़बरदस्त बराबरी, लोगों की आज़ादी को कुचल सकती है। एक अच्छी डेमोक्रेसी को लगातार दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए यह पक्का करना चाहिए कि

किसी भी नागरिक के साथ पॉलिटिकली कमतर न समझा जाए। सिर्फ वोट देने के बजाय, यह बैलेंसिंग काम ही डेमोक्रेसी को उसकी मोरल सीरियसनेस देता है।

कुल मिलाकर, ये विचारक हमें डेमोक्रेसी की उस छोटी सी परिभाषा से आगे ले जाते हैं जिसमें समय-समय पर वोटिंग होती है। मिल हमें याद दिलाते हैं कि बिना किसी सीमा के मेजॉरिटी का शासन तानाशाही बन सकता है, इसलिए व्यक्तिगत आज़ादी और माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सेन हमें याद दिलाते हैं कि डेमोक्रेसी की सबसे गहरी वैल्यू पब्लिक रीज़निंग, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट में है, न कि सिर्फ बैलेट बॉक्स में।[4,5,6]

इसीलिए मैच्योर डेमोक्रेसी ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाती हैं जो मेजॉरिटी को कंट्रोल करते हैं: लिखे हुए संविधान, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट कोर्ट, फ्री प्रेस, और पावर्स का सेपरेशन। ये डेमोक्रेसी के लिए रुकावटें नहीं हैं बल्कि इसके ज़रूरी हिस्से हैं। ये पक्का करते हैं कि “लोगों का राज” किसी ऐसे व्यक्ति के राज में न बदल जाए जिसके पास किसी दिन 51 परसेंट कंट्रोल हो। सेन तो यह भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक यूनिवर्सल वैल्यू बन गई है, जो हर जगह के लोगों के लिए रेलिवेंट है, ठीक इसलिए क्योंकि ये फायदे किसी एक कल्चर या इलाके की प्रॉपर्टी नहीं हैं।[6,7,8]

अगर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई ज़्यादातर टीम एक छोटी माइनॉरिटी के अधिकारों पर रोक लगाने के लिए वोट करती है, तो क्या यह फ़ैसला सच में “डेमोक्रेटिक” है, सिर्फ इसलिए कि इसमें वोटिंग के नियमों का पालन किया गया है? और सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ पब्लिक ओपिनियन लगभग तुरंत फैल और सख्त हो सकती है, क्या आपको लगता है कि पब्लिक ओपिनियन के “सोशल टेररमी” के बारे में मिल की चेतावनी आज उनकी अपनी सदी की तुलना में ज़्यादा रेलिवेंट है?[5,6,7]

#### निष्कर्ष

मिल ने कहा कि डेमोक्रेसी आसानी से मेजॉरिटी की तानाशाही बन सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या वाले ग्रुप की मज़ी माइनॉरिटी पर थोपी जाती है, जिससे उस माइनॉरिटी को नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि “सेल्फ-गवर्नमेंट” शब्द गुमराह

करने वाला हो सकता है। जिन लोगों के पास पावर होती है, वे हमेशा वही नहीं होते जिन पर इसका इस्तेमाल होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि मिल ने एक “सोशल तानाशाही” की चेतावनी दी जो सिर्फ़ कानूनों से ही नहीं, बल्कि पब्लिक ओपिनियन और सोशल प्रेशर से भी होती है, जिसे वे कुछ मायनों में फॉर्मल पॉलिटिकल जुल्म से ज़्यादा जुल्मी मानते थे क्योंकि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा गहराई तक घुस जाता है।[9,10]

#### संदर्भ

1. <https://education.nationalgeographic.org/resource/democracy-ancient-greece/>
2. <https://www.history.com/articles/ancient-greece-democracy>
3. <https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/athenian-democracy>
4. [https://www.worldhistory.org/Athenian\\_Democracy/](https://www.worldhistory.org/Athenian_Democracy/)
5. <https://victorianweb.org/philosophy/mill/liberty.html>
6. <https://teachdemocracy.org/online-lesson/john-stuart-mill-and-individual-liberty/>
7. <https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0091/10006.1112/Sen1999.pdf>
8. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/democracy-as-a-universal-value/>
9. <https://theprint.in/pageturner/excerpt/amartya-sen-said-no-democracy-with-free-press-has-had-major-famines/534152/>
10. <https://www.sas.upenn.edu/~dludden/BIHAR1967counterSen.pdf>